

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-17/2013-162 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 18-10-2013  
प्रेषक,

रामजी सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराँव की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष, 2009-10 से वित्तीय वर्ष, 2013-14 तक कुल 5 वर्षों के लिए 14494.00 लाख रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन वित्तीय वर्ष, 2013-14 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अधीन 190.40 लाख रु० (एक करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹1,90,40,000 (एक करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-4916 दिनांक-01.10.2013 द्वारा वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराँव की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष, 2009-10 से वित्तीय वर्ष, 2013-14 तक कुल 5 वर्षों के लिए 14494.00 लाख रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन वित्तीय वर्ष, 2013-14 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अधीन 190.40 लाख रु० (एक करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹1,90,40,000 (एक करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹1,90,40,000 (एक करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार रु०) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-मांग सं०-1-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0102-कृषि महाविद्यालय शाहाबाद क्षेत्र, विपत्र कोड-P2415017890102, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 43 विषयशीर्ष-31 05-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रथम अनुपूरक में उपबंधित राशि 190.40 लाख रु० (कुल उपबंधित राशि 430.40 लाख रु०) से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 वि० दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाषी,

  
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक


162 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 18-10-2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

162 (आवरण)

/कृ०, पटना, दिनांक 18-10-2013

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/ निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुभा

सरकार के संयुक्त सचिव।